



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44]
No. 44]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 1978/माघ 13, 1899
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 1978/MAGHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

सा. का. नि. 62(अ)/आ. व./गन्ना.—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस आदेश का नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में खण्ड 3 में—

(1) उपखण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(3क) जहां चीनी का कोई उत्पादक या उसका अभिकर्ता, परिधान की तारीख के 14 दिन के भीतर खरीद गए गन्ने के लिए संदाय करने में असफल रहता है तो वह 14 दिन से अधिक विलम्ब की ऐसी अवधि के लिए

15 प्रतिशत वार्षिक की दर से श्रेष्ठ्य रकम पर व्याज का संदाय करेगा । जहां विलम्बित संदाय पर व्याज का संदाय किसी गन्ना उगाने वाली सोसाइटी को किया गया हो वहां वह सोसाइटी, उक्त सोसाइटी के नियमों द्वारा अनुज्ञात प्रशासन प्रभारों, यदि कोई हों, की कटौती करने के पश्चात्, उस व्याज को सम्बद्ध गन्ना उगाने वाले को भेज देगी ।

(2) उपखण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(7) यदि, उस चीनी वर्ष के, जिसमें कारखाने को गन्ने का प्रदाय किया गया था, अन्तिम दिन तक, गन्ने के प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके लिए अपने दावे न लाने के कारण या किसी और कारणवश, गन्ने की कीमत अंसूक्त रह जाती है तो चीनी-उत्पादक द्वारा वह, उस जिले, जिसमें कारखाना स्थित है, के कलक्टर के पास, चीनी वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर, जमा करावा दी जाएगी । कलक्टर, इस प्रकार निक्षिप्त रकम में से उन सभी दावों का संदाय करेगा जो उसके विचार में दाय हैं और उस चीनी-वर्ष की, जिसमें गन्ना कारखाने को प्रदाय किया गया था, समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर उनके लिए दावा किया गया था । प्रदायकर्ताओं के दावों की पूर्ति करने के पश्चात्, कलक्टर के पास असीदत्त रकम, तीन वर्ष की समय परिसीमा के, जिसके भीतर प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके लिए दावे किए

जा सकते हैं, अवसान के तुरन्त पश्चात्, राज्य की संचित निधि में जमा करवा दी जाएगी। राज्य सरकार, यथासाध्य, ऐसी रकम को, राज्य में गन्ने के विकास के लिए उपयोग करेगी।

[सं. 4-25/75-एस. पी. वाई.]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1978

G.S.R. 62(E)/Ess. Com./Sugarcane—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. Short title and commencement :

- (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 1978.
- (2) It shall come into force at once.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, in clause 3—

- (i) after sub-clause (3), the following sub-clause shall be inserted,

“(3A) where a producer of sugar or his agent fails to make payment for the sugarcane purchased within 14 days of the date of delivery, he shall pay

interest on the amount due at the rate of 15 per cent per annum for the period of such delay beyond 14 days. Where payment of interest on delayed payment is made to a cane growers' society, the society shall pass on the interest to the cane growers concerned after deducting administrative charges, if any, permitted by the rules of the said society.

- (ii) after sub-clause (6), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(7) In case, the price of the sugarcane remains unpaid on the last day of the sugar year in which cane supply was made to the factory on account of the suppliers of cane not coming forward with their claims therefor or for any other reason, it shall be deposited by the producer of sugar with the Collector of the district in which the factory is situated, within three months of the close of the sugar year. The Collector shall pay, out of the amount so deposited, all claims, considered payable by him and preferred before him within three years of the close of the sugar year in which the cane was supplied to the factory. The amount still remaining un-disbursed with the Collector, after meeting the claims from the Suppliers, shall be credited by him to the Consolidated Fund of the State, immediately after the expiry of the time limit of 3 years within which claims therefor could be preferred by the suppliers. The State Government shall, as far as possible, utilise such amounts, for development of sugarcane in the State.

[No. 4-25/75-SPY]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.